The Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine Act, 1991

Act 10 of 1992

Keyword(s):
Board, Pilgrims, Pandit, Temple

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1991

(1992 की अधिनियम संख्या 10)

धाराएं — विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. पूजास्थल निधि को निहित करना।
4. बोर्ड का गठन।
5. पूजास्थल निधियों का चुकाना।
6. बोर्ड का निगमन।
7. सदस्य की पदावधि।
8. बोर्ड की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।
9. बोर्ड का विघटन और अधिक्रमण।
10. रिक्तियों का भरा जाना।
11. त्याग-पत्र।
12. बोर्ड का कार्यालय और बैठकें।
13. बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति।
14. बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना।
15. सदस्यों का दायित्व।
16. चल और अचल सम्पत्ति का अन्य संक्रामण।
17. उधार लेने और उधार देने की शक्ति की परिसीमा।
18. बोर्ड के कर्तव्य।
19. पुजारियों तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकार।
20. रजिस्टरों को तैयार करना और रखना।
21. रजिस्टर का वार्षिक सत्यापन।
22. सम्पत्ति तथा दस्तावेजों का निरीक्षण।
23. दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिबन्ध।
24. अविधिमान्यतः अन्य संक्रामित सम्पत्ति की वसूली।
25. पूजास्थल की भूमि तथा परिसर का अतिक्रमण हटाना।

26. पूजास्थल के संरक्षण के लिए कार्य करने की शक्ति।

27. पुजारी की नियुक्ति तथा कार्यकाल।

28. निलंबित करने, हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति।

29. पुजारियों की अयोग्यताएं।

30. पुजारी के कार्यालय में रिक्ति का भरा जाना।

31. पूजास्थल का बजट।

32. लेखे।

33. इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में पुजारी आदि द्वारा इनकारी पर शास्ति।

34. पूजास्थल से संबंधित सम्पत्ति को गलत ढंग से रोकने और दबाने के लिए शास्ति।

35. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

36. निदेश देने की शक्ति।

37. सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।

38. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

39. अधिकारिता का वर्जन।

40. नियम बनाने की शक्ति।

41. कतिपय अधिनियमितियों का पूजास्थल को लागू, रहना समाप्त हो जाना।

[1][हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1991]

(1992 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10)

[हरियाणा श्री माता शीतला देवी श्राइन ऐक्ट, 1991, का निम्नलिखित अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 11 जून, 1993, के अधीन प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
1992	10	हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1991	1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 21 द्वारा संशोधित [2]

श्री माता शीतला देवी पूजास्थल, गुड़गांव और पूजास्थल से सम्बद्ध या अनुलग्न भूमियों और भवनों सहित उसके विन्यासों के बेहतर प्रबन्ध, प्रशासन और अभिशासन का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991, कहा जा सकता है।

(2) यह तुरन्त लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित श्री माता शीतला देवी पूजास्थल बोर्ड ;

(ख) "विन्यास" से अभिप्राय है, पूजास्थल से सम्बन्धित या उसकी देख-भाल, सुधार तथा परिवर्धन के लिए या उसकी पूजार्थ या सेवार्थ या उससे सम्बद्ध दानार्थ दी हुई या प्रदान की गई समस्त चल या अचल सम्पत्ति और इसमें शामिल है वहां पर स्थापित मूर्तियां, पूजास्थल का परिसर और पूजास्थल के अहाते के भीतर किसी को दिया सम्पत्ति-दान और उससे सम्बद्ध या अनुलग्न भूमियां और भवन ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(घ) "मठ" से अभिप्राय है, हिन्दू कानून के अधीन समझा जाने वाला मठ ;

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 दिसम्बर, 1991, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 2217 तथा हिन्दी पृष्ठ संख्या 2236.

2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 दिसम्बर, 1996, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 2370 तथा हिन्दी पृष्ठ संख्या 2372.

(ङ) "सदस्य" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित बोर्ड का सदस्य और इसमें शामिल है, [1][हिन्दू धर्म को मानने वाला सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष] पदेन सदस्य और सदस्य सचिव गैर-हिन्दू है तो सरकार उसके स्थान पर हिन्दू धर्म को मानने वाले किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कर सकती है ;

(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(छ) "पुजारी" से अभिप्राय है, पुजारी और इसमें शामिल हैं, पण्डित और पुरोहित या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो पूजा या अन्य कर्मकाण्ड करता है;

(ज) "पूजास्थल" से अभिप्राय है, श्री माता शीतला देवी पूजास्थल, गुड़गांव और श्री माता शीतला देवी पूजास्थल के परिसर के भीतर सभी मन्दिर, मठ और मूर्तियां और जनता के प्रयोजन के लिए धार्मिक उद्देश्यार्थ वहां पर स्थापित उससे सम्बद्ध विन्यास और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं : —

(i) मन्दिर की पूजा, देखभाल या सुधार या परिवर्धन या उससे सम्बद्ध सेवा या दान पुण्य से सम्बन्धित दी हुई या प्रदान की गई समस्त चल या अचल सम्पत्ति; और

(ii) मन्दिर में स्थापित मूर्तियां और सजावट के लिए कपड़े, आभूषण तथा अन्य वस्तुएं, आदि ;

(झ) "पूजास्थल-निधि" से अभिप्राय है, और इसमें शामिल है, पूजास्थल द्वारा या उस निमित्त उसके हित के लिए उस समय धारित सभी राशियां और वे सभी विन्यास भी शामिल हैं, जो पूजास्थल के हित या किसी व्यक्ति के नाम में वहां के किसी अन्य देवी-देवता के लिए या वहां पर आने वाले यात्रियों की सुविधा, आराम या हित के लिए दिये गये हैं या इसके बाद दिये जा सकते हैं, इसमें पूजास्थल के अहाते में स्थापित किसी देवी-देवता को अर्पित समस्त चढ़ावा भी शामिल है ;

(ञ) "मन्दिर" से अभिप्राय है, किसी भी नाम से ज्ञात कोई स्थान, जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा के रूप में उपभेग में आता है और जो हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग को सार्वजनिक धार्मिक पूजास्थल के रूप में समर्पित है या उसके हित के लिए या अधिकार स्वरूप उपभोग किया जाता है।

पूजास्थल निधि को निहित करना।

3. पूजास्थल निधि का स्वामित्व इस अधिनियम के प्रारम्भ से बोर्ड में निहित होगा और बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसे अपने कब्जे में रखने, व्यवस्थित करने और उपभोग में लाने का हकदार होगा।

बोर्ड का गठन।

4. पूजास्थल का प्रशासन, प्रबन्ध और अभिशासन [2][अध्यक्ष और उपाध्यक्ष] और अधिक से अधिक ग्यारह सदस्यों वाले बोर्ड में निहित होगा। बोर्ड का संयोजन निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) मुख्य मंत्री, हरियाणा, अध्यक्ष होगा ;

[3][(कक) कार्यभारी मंत्री, स्थानीय शासन, हरियाणा, उपाध्यक्ष होगा ;]

1. 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 21 द्वारा रखा गया।

[1][(ख) सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग चाहे वित्तायुक्त, स्थानीय शासन अथवा आयुक्त, स्थानीय शासन के रूप में पदाभिहित हो, जैसी भी स्थिति हो, पदेन सदस्य होगा ;]

(ग) उपायुक्त, गुड़गांव, पदेन सदस्य-सचिव होगा ;

(घ) सरकार द्वारा नौ व्यक्तियों को निम्नलिखित रीति में, सदस्यों के रूप में नामजद किया जाएगा—

(i) दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के विचार में हिन्दू धर्म या संस्कृति की सेवा में प्रतिष्ठा प्राप्त की है ;

(ii) ऐसी दो महिलाएं, जिन्होंने सरकार के विचार में हिन्दू धर्म, संस्कृति की सेवा या सामाजिक कार्य में, विशेषकर महिलाओं की उन्नति के सम्बन्ध में, प्रतिष्ठा प्राप्त की है;

(iii) ऐसे व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जिन्होंने प्रशासन, कानूनी मामलों या वित्तीय विषयों में प्रतिष्ठा प्राप्त की है ;

(iv) हरियाणा राज्य के दो प्रतिष्ठित हिन्दू।

5. निधियों को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जायेगा :-- पूजास्थल निधियों का चुकाना।

(क) मन्दिर की उचित देखभाल, पूजा तथा अन्य कर्मकाण्ड करने के लिए व्यय चुकाना ;

(ख) दर्शनार्थ आये श्रद्धालुओं को प्रसुविधाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना ;

(ग) विद्यार्थियों का प्रशिक्षण ;

(घ) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और देखभाल ; और

(ङ) पूजास्थल में दर्शनार्थ आये अनुयायियों, तीर्थ-यात्रियों और उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करना।

6. बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और यह उक्त नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा। बोर्ड का निगमन।

7. अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड का कोई सदस्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा, परन्तु धारा 4 के अधीन उसकी पदावधि उसके नामांकन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। सदस्य की पदावधि।

8. किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किये जाने के लिये निम्नलिखित कारणों से अयोग्य ठहराया जायेगा :-- बोर्ड की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।

(क) यदि ऐसा व्यक्ति हिन्दू नहीं है ;

(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा है या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विपाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है ;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ) यदि वह बोर्ड के विरुद्ध विधि व्यवसायों के रूप में पेश हो रहा है ;

1. 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) यदि वह किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के दोष में दण्डाविष्ट है और ऐसी सजा को उलटाया नहीं गया है ;

(च) यदि उसने सरकार की राय में पूजास्थल में हितों के विरुद्ध काम किया है ;

(छ) यदि वह पदधारी है या बोर्ड से सम्बद्ध सेवक है ;

(ज) यदि वह पूजास्थल के प्रशासन में भ्रष्टाचार या अवचार का दोषी है ; और

(झ) यदि वह नशीली शराब या दवाइयों का आदि है।

बोर्ड का विघटन और अधिक्रमण।

9. (1) यदि सरकार की राय में बोर्ड इस अधिनियम के अधीन उसको सौंपे गए कर्तव्यों के पालन में सक्षम नहीं है या उसके पालन में लगातार चूक करता है या अपनी शक्ति का अतिलंघन या गलत प्रयोग करता है, तो सरकार उचित जांच के बाद और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश द्वारा बोर्ड का विघटन या अधिक्रमण कर सकती है और इस अधिनियम के अनुसरण में कोई और बोर्ड पुनः गठित कर सकती है।

(2) जहां इस धारा के अधीन बोर्ड विघटित या अधिक्रमित किया जाता है वहां सरकार सभी शक्तियां ग्रहण करेगी और तीन मास तक की अवधि के लिये या अन्य बोर्ड के गठन तक, इनमें जो भी पहले हो, बोर्ड के सभी कृत्यों को निभाएगी और बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

रिक्तियों का भरा जाना।

10. (1) बोर्ड के कार्यालय में धारा 4 में यथा उपबन्धित रीति के अनुसार आकस्मिक रिक्ति भरी जाएगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नामज़द सदस्य की पदावधि उस दिन समाप्त होगी जिस दिन उस सदस्य की, जिसकी रिक्ति पर नामज़दगी की गई है, पदावधि समाप्त होनी थी।

(3) बोर्ड द्वारा की गई कोई भी बात केवल वहां पर किसी आकस्मिक रिक्ति के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

त्याग-पत्र।

11. कोई भी नामज़द सदस्य, सदस्य के रूप में अपने पद से अध्यक्ष को लिखित नोटिस द्वारा त्याग-पत्र दे सकता है और सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तिथि से उसका पद खाली हो जाएगा।

बोर्ड का कार्यालय और बैठकें।

12. (1) बोर्ड ऐसे स्थान पर अपना कार्यालय बनाएगा जैसा कि यह निर्णय करे।

(2) बोर्ड की बैठक में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में [1][उपाध्यक्ष] अध्यक्षता करेगा।

(3) किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जायेगा जब तक कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों।

(4) बोर्ड का प्रत्येक निर्णय, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाय, मतों के बहुमत द्वारा होगा और मतों के समान होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति।

13. (1) इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों को कुशलता से पूरा करने के लिए, बोर्ड [1][मुख्य प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी] और ऐसे अन्य अधिकारी और सेवक, जैसा कि वह आवश्यक समझे, ऐसे पदनामों, वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों, अनुलाभों सहित, जो बोर्ड समय-समय पर निश्चित करे, नियुक्त कर सकता है।

1. 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन, बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के किसी भी अधिकारी या सेवक को अनुशासन-भंग, लापरवाही, अयोग्यता, कर्तव्य-विमुखता या अवचार या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्थानान्तरित करने, निलम्बित करने, हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति होगी :

परन्तु जहां अधिकारी या सेवक सरकारी कर्मचारी है, वहां वह सरकार में अपने मूल संवर्ग या विभाग में वापस भेजा जा सकता है।

बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना।

14. बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और सेवक, इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कार्य करते हुए या तात्पर्यित कार्य करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सदस्यों का दायित्व।

15. बोर्ड का प्रत्येक सदस्य पूजास्थल की निधि की हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार होगा और यदि ऐसी हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग उसके सदस्य के रूप में जानबूझ कर किए गए कार्य या चूक करने के सीधे परिणामस्वरूप है तो बोर्ड द्वारा इसकी भरपाई के लिए उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है।

चल और अचल सम्पत्ति का अन्य संक्रामण।

16. (1) किसी भी रत्न-जड़ित आभूषण का, जो एक बार मूर्ति या पूजास्थल की निधि का भाग बनने वाली किसी अविनाशशील किस्म की अन्य बहुमूल्य सम्पत्ति पर सजाया गया हो, बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अन्तरित, विनिमय, विक्रय या निपटान नहीं किया जायेगा।

(2) बोर्ड द्वारा धारित कोई भूमि या अन्य, अचल सम्पत्ति बोर्ड के प्रस्ताव और सरकार के अनुमोदन के बिना, अन्यसंक्रामित नहीं की जाएगी।

उधार लेने और उधार देने की शक्ति की परिसीमा।

17. बोर्ड के प्रस्ताव और सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी धनराशि उधार ली या दी नहीं जाएगी।

बोर्ड के कर्तव्य।

18. इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड का निम्न बातों के प्रति कर्तव्य होगा —

(1) पूजास्थल में उचित पूजा की व्यवस्था करना ;

(2) तीर्थ यात्रियों को उचित रूप से पूजा करने के लिए सुविधाएं जुटाना ;

(3) पूजास्थल की निधियों या बहुमूल्य प्रतिभूतियों और आभूषणों की सुरक्षा, अभिरक्षा और परिरक्षण की व्यवस्था करना ;

(4) उपासकों और तीर्थयात्रियों की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्यों को हाथ में लेना —

(क) उनके आवास हेतु भवनों का निर्माण ;

(ख) सफाई कार्यों का निर्माण ; और

(ग) संचार साधनों में सुधार।

(5) पूजास्थल और उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र से सम्बद्ध विकासात्मक क्रियाकलापों को अपनाना ;

(6) धार्मिक शिक्षण और सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित प्रबन्ध करना ;

(7) उपासकों और तीर्थयात्रियों के लिये चिकित्सा राहत की व्यवस्था करना ;

(8) वेतनभोगी स्टाफ को उपर्युक्त तनख्वाहों की अदायगी की व्यवस्था करना ; और

(9) ऐसी सभी बातें करना जो पूजास्थल, पूजास्थल निधि और यात्रियों की सुविधा के कुशल प्रबन्ध, देखभाल और प्रशासन से आनुषंगिक और उसमें सहायक हों।

पुजारियो तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकार।

19. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पुजारियों तथा किसी अन्य व्यक्तियों के सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे :

परन्तु सरकार एक अधिकरण नियुक्त कर सकती है, जो पुजारियों अथवा अन्य व्यक्तियों और उनके प्रतिनिधियों को वैयक्तिक रूप में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उनके अधिकारों के निर्वापन के बदले बोर्ड द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की सिफारिश करेगा। बोर्ड को अपनी सिफारिशें करते समय अधिकरण ऐसी आय का, जो पुजारी या अन्य व्यक्ति प्राप्त करते थे, सम्यक् ध्यान रखेगा :

परन्तु यह और कि जहां पुजारी अथवा अन्य व्यक्ति मुआवजे का अपना अधिकार छोड़ देता है और बोर्ड में स्वयं को नौकरी के लिए पेश करता है वहां बोर्ड ऐसी नौकरी के लिए विचारपूर्वक फैसला करके उसकी उपयुक्तता कारित करेगा और यदि वह इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की जाने वाली चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाता है तो उसे नौकरी की पेशकश करता है परन्तु ऐसा पुजारियों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियन्त्रण के अनुपालन का जिम्मा लेने के अधीन होगा।

(2) पूजास्थल के ऐसे सभी कर्मचारी, जो पूजास्थल से सम्बद्ध किसी कार्य पर लगाए जाते हैं, जब तक वे इसके विपरीत किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करते, इस अधिनियम के प्रारम्भ से बोर्ड के कर्मचारी बन गए समझे जाएंगे और बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। उनकी सेवा शर्तें तथा निबन्धन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे, जो यथासाध्य, उनकी वर्तमान सेवा के पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों और निबन्धनों से कम नहीं होंगे।

(3) दुकानदार तथा अन्य पट्टाधारी, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्र में पूजास्थल के किराएदार हैं, बोर्ड के किराएदार बन जायेंगे।

रजिस्टरों को तैयार करना और रखना।

20. (1) निम्नलिखित को दर्शाने वाला, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, एक रजिस्टर तैयार किया और रखा जाएगा :—

(क) पूजास्थल के उद्गम तथा इतिहास तथा पूजास्थल के रीति-रिवाज या प्रथा के सम्बन्ध में विशिष्टियां ;

(ख) प्रशासन की स्कीम की विशिष्टियां तथा खर्च का मापमान ;

(ग) सभी सेवा पदों के नाम जिनसे कोई वेतन, पारिश्रमिक या अनुलाभ सम्बद्ध है तथा प्रत्येक मामले में सेवा का स्वरूप, समय तथा शर्तें ;

(घ) धन, आभूषण, रत्न, सोना, चांदी, कीमती नगीने, पात्र तथा बर्तन तथा पूजास्थल से सम्बन्धित अन्य चल वस्तुएं और उनका भार, संघटक तत्वों के ब्यौरे, तत्व तथा अनुमानित मूल्य ;

(ङ) पूजास्थल की अचल सम्पत्तियों तथा सभी अन्य विन्यासों की विशिष्टियां तथा सभी हक-विलेख तथा अन्य दस्तावेज ;

(च) पूजास्थल में या उससे सम्बद्ध मूर्तियों तथा अन्य प्रतिमाओं के रंगीन चित्रों के संघटक तत्वों के ब्यौरों की विशिष्टियां चाहे वे पूजा के लिये शोभायात्राओं में ले जाने के लिए आशयित हों ;

(छ) प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों की, उनकी संक्षिप्त विषय वस्तु सहित, विशिष्टियां ; और

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिनकी बोर्ड अपेक्षा करे।

(2) मुख्यकार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधीकारी द्वारा, इस निमित्त उसे सदस्य-सचिव द्वारा नोटिस की तामील किये जाने की तिथि से तीन मास के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो उस द्वारा अनुज्ञात की जाए, एक रजिस्टर तैयार, हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा।

(3) बोर्ड, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, रजिस्टर में ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन, जिन्हें बोर्ड उचित समझे, करने के लिये अधिकारी को सिफारिश कर सकता है और निदेश दे सकता है।

(4) अधिकारी बोर्ड के निदेशों का पालन करेगा और आदेश की तिथि से तीन मास के भीतर अनुमोदन के लिए रजिस्टर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

रजिस्टर का वार्षिक सत्यापन।

21. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रति वर्ष, या ऐसे समय-अन्तरालों पर, जो विहित किए जाएं रजिस्टर में प्रविष्टियों की जांच करेगा तथा उसे बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए सदस्य-सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) इसके बाद बोर्ड, ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, रजिस्टर में परिवर्तन, लोप या परिवर्धन, यदि कोई हों, करने का निदेश दे सकता है।

(3) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, आदेश की तिथि से तीन मास के भीतर, अपने द्वारा रखी गई रजिस्टर की प्रति में, बोर्ड द्वारा आदेश किये गये परिवर्तन, लोप और परिवर्धन करेगा।

सम्पत्ति तथा दस्तावेजों का निरीक्षण।

22. (1) बोर्ड का सदस्य-सचिव या बोर्ड अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति, पूजास्थल से सम्बन्धित सारी चल या अचल सम्पत्तियों तथा उससे सम्बन्धित सभी अभिलेखों, पत्र-व्यवहार, मानचित्रों, लेखों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उसके अधीन कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और सेवकों तथा उसके प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे निरीक्षण के सम्बन्ध में, जो यथा आवश्यक और समुचित रूप में अपेक्षित हो, ऐसी समस्त सहायता तथा सुविधाएं प्रदान करे तथा निरीक्षण के लिए, यदि ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी कोई चल सम्पति या दस्तावेज भी प्रस्तुत करे।

(2) यथा पूर्वोक्त निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, निरीक्षण प्राधिकारी को, स्थानीय परिपाटी, रीति-रिवाज या प्रथा के अधीन रहते हुए पूजास्थल के परिसर में, किसी भी उचित समय में प्रवेश करने की शक्ति होगी।

(3) इस धारा में दी हुई किसी भी बात से किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसर या स्थान या उसके किसी भाग में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत नहीं समझा जाएगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस धर्म को नहीं मानता जिससे परिसर या स्थान सम्बन्धित है।

दस्तवेजों के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिबन्ध।

23. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पूजास्थल से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति का कोई विलेख या अन्य संक्रामण रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं करेगा, जब तक विलेख के साथ धारा 16 के अधीन ऐसे अन्य संक्रामण को स्वीकृति देने वाले आदेश की एक प्रमाणित प्रति साथ न लगाई जाये।

अविधिमान्यतः अन्य संक्रामित सम्पत्ति की वसूली।

24. (1) जब कभी बोर्ड के ध्यान में यह बात आए कि पूजास्थल की कोई अचल सम्पत्ति इस अधिनियम के उल्लंघन में अन्य-संक्रामित की गई है, तो यह मामला सरकार को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये निर्देश की प्राप्ति पर, सरकार विहित रीति में एक संक्षिप्त जांच करेगी और सन्तुष्ट हो जाने पर कि ऐसी कोई सम्पत्ति अन्य-संक्रामित की गई है, उसका कब्जा बोर्ड को सौंप देगी।

पूजास्थल की भूमि तथा परिसर का अतिक्रमण हटाना।

25. (1) हरियाणा लोक परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972, में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, जहां तक हो सके, पूजास्थल की किसी भूमि या परिसर के अप्राधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, मानो इस अधिनियम के अर्थ के भीतर यह सरकार की सम्पत्ति थी।

(2) बोर्ड का सदस्य-सचिव, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियां करने के लिए, उसके अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और इसके बाद उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई करना ऐसे प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

पूजास्थल के संरक्षण के लिये कार्य करने की शक्ति।

26. (1) जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि —

(क) पूजास्थल से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति के किसी व्यक्ति द्वारा नाकारा किए जाने, क्षति पहुंचाये जाने या अनुचित रूप से अन्य संक्रामित किये जाने का खतरा है : या

(ख) ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति को हटाने या उसके निपटान की धमकी देता है या ऐसा करना चाहता है, वहां बोर्ड का सदस्य सचिव, ऐसी सम्पत्ति को बेकार करने, क्षति पहुंचाने, अन्य संक्रामित करने, बेचने, हटाने या निपटान को रोकने और निवारित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निबन्धनों पर, जो व्यादेश की अवधि, लेखे रखने, प्रतिभूति देने, सम्पत्ति को प्रस्तुत करने या अन्य बात के बारे में हो, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा अस्थाई व्यादेश या ऐसा कोई अन्य आदेश दे सकता है।

(2) बोर्ड का सदस्य-सचिव ऐसे सभी मामलों में, सिवाय जहां ऐसा प्रतीत होता है कि व्यादेश देने का उद्देश्य देरी द्वारा विफल हो जाएगा, व्यादेश देने से पहले सम्बद्ध व्यक्ति को तथ्यों का नोटिस देगा।

(3) सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई और ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, बोर्ड का सदस्य-सचिव व्यादेश के आदेश को पुष्ट, खारिज, परिवर्तित या अपास्त कर सकता है या उपयुक्त आदेश कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन दिए गए किसी व्यादेश, इसके किन्हीं निबन्धनों या जारी किसी आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन की दशा में, बोर्ड का सदस्य-सचिव सरकार को आवेदन कर सकता है, जो बोर्ड के सदस्य-सचिव या प्रभावित पक्षकार की सुनवाई के बाद, ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के आदेश कर सकती है और उक्त व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में नजरबन्द किये जाने के आदेश भी कर सकती है। इस धारा के अधीन कोई कुर्की दो वर्ष से अधिक के लिए लागू नहीं रहेगी और ऐसे समय की समाप्ति पर यदि अवज्ञा या उल्लंघन जारी रहता है, कुर्क की गई सम्पत्ति बेची जा सकती है और विक्रय आगमों में से सरकार ऐसा मुआवजा दे सकती है, जो वह उचित समझे और बकाया, यदि कोई है, उसके हकदार व्यक्ति को दे दिया जाएगा, और उस पर इस धारा के अधीन बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा दिये गये अस्थाई व्यादेश या जारी किये गये कोई आदेश, यदि लागू है, अभिशून्य या रद्द किये गये, जैसी भी स्थिति हो, समझे जाएंगे।

(5) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन व्यादेश का आदेश या कोई अन्य आदेश जारी किया जाता है, ऐसे आदेश की संसूचना की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध सरकार को अपील कर सकता है।

पुजारी की नियुक्ति तथा कार्यकाल।

27. (1) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पूजास्थल के पुजारियों की नियुक्ति करेगा और ऐसी नियुक्ति करने में ऐसे धार्मिक संप्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के दावों का विधिवत् ध्यान रखा जाएगा जिसके लाभ के लिए पूजास्थल की मुख्य रूप से सार सम्भाल की जाती है।

(2) पुजारी, जब तक उसे बीच में ही हटा नहीं दिया जाता या बर्खास्त नहीं कर दिया जाता या बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता या अन्यथा वह पुजारी नहीं बना रहता, पांच वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) पुजारी पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

निलंबित करने, हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति।

28. (1) बोर्ड या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पूजास्थल के पुजारी को, निम्नलिखित बातों के लिये, निलंबित, हटा या बर्खास्त कर सकता है,—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी आदेश की जानबूझ कर की गई अवज्ञा के लिये ;

(ख) इस अधिनियम के उल्लंघन में पूजास्थल या किसी सम्पत्ति के अन्य संक्रामण के सम्बन्ध में किसी उपकरण, दुष्करण, विश्वासघात या कर्तव्य की उपेक्षा के लिये ;

(ग) ऐसे पूजास्थल की, जिसका वह पुजारी है, सम्पत्तियों के दुर्विनियोग, या अनुचित संव्यवहार के लिये ;

(घ) पूजास्थल में उसके नशीली शराब या दवाइयों के नशे में पाये जाने के लिये ;

(ङ) दिमाग की विकृति या अन्य मानसिक या शारीरिक दोष या अशक्तता के लिये जो उसे पुजारी के कर्तव्य निभाने के लिये अयोग्य बनाती है :

परन्तु किसी भी पुजारी को इस धारा के अधीन बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हटाया जा बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया जाए।

(2) कोई भी पुजारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन बोर्ड, या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निलम्बित, हटाया या बर्खास्त किया गया है, निलम्बित, हटाया या बर्खास्त किये जाने का आदेश प्राप्त करने की तिथि से एक मास के भीतर, ऐसे प्राधिकरण की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील दायर कर सकता है।

(3) इस प्रकार निलम्बित, हटाये जा बर्खास्त किसी पुजारी को, ऐसी भरण-पोषण अनुज्ञात किया जायेगा जो पूजास्थल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत किया जाए।

पुजारियों की अयोग्यताएं।

29. कोई भी व्यक्ति, पुजारी के रूप में नियुक्त किये जाने और बने रहने के लिये निम्न बातों से अयोग्य ठहराया जाएगा,—

(क) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ख) यदि वह विकृत-चित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हुआ है ;

(ग) यदि वह पूजास्थल के किसी अस्तित्व युक्त या किसी सम्पत्ति में या उससे की गई संविदा या किए जा रहे कार्य में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता है या पूजास्थल को भुगतान-योग्य किसी बकाए में देनदार है ;

(घ) यदि वह पूजास्थल की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में पेश हो रहा है ;

(ङ) यदि उसे दांडिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सजा दी गई है और ऐसी सजा को उलटाया नहीं गया है ;

(च) यदि उसने पूजास्थल के हित के विरुद्ध कार्य किया है ;

(छ) यदि वह नशीली शराब और दवाइयों का आदी है ;

(ज) यदि उसने आयु के इक्कीस वर्ष पूरे नहीं किए हैं ; और

(झ) यदि वह हिन्दू धर्म या उसकी मान्यता को छोड़ देता है या धार्मिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध तोड़ लेता है जिससे पूजा-स्थल सम्बद्ध है।

पुजारी के कार्यालय में रिक्ति का भरा जाना।

30. (1) जब पूजास्थल के पुजारी के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है, तब पुजारी बोर्ड द्वारा या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) जब ऐसे किसी कार्यालय में किसी पुजारी के निलम्बन के कारण कोई अस्थाई रिक्ति हो जाती है, तब बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुजारी के कृत्यों को निभाने के लिये, जब तक उसकी निर्योग्यता समाप्त नहीं हो जाती, उसके स्थान पर किसी दूसरे पुजारी की नियुक्ति की जायेगी।

पूजास्थल का बजट।

31. (1) बोर्ड का सदस्य-सचिव, प्रत्येक वर्ष, दिसम्बर की समाप्ति से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाये, पूजास्थल के आगामी वित्त वर्ष के दौरान की संभावित प्राप्तियों तथा वितरणों का बजट पेश करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक बजट निम्नलिखित के लिये पर्याप्त उपबन्ध करेगा :—

(क) उस समय लागू खर्च तथा परम्परागत खर्च का मापदण्ड ;

(ख) पूजास्थल पर आबद्धकारी सभी देनदारियों का सम्यक् निर्वहन ;

(ग) धार्मिक, शैक्षणिक तथा खैराती प्रयोजनों पर खर्च, जो पूजास्थल के उद्देश्यों से असंगत न हो ;

(घ) पूजास्थल के सिद्धान्तों के अनुसार धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा उसका प्रसार ; और

(ङ) भवनों की मरम्मत तथा उनके नवीकरण तथा पूजास्थल की सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण का खर्च।

(3) बोर्ड, बजट की प्राप्ति पर, उसमें ऐसे परिवर्तन, विलोपन अथवा परिवर्धन, जो वह उचित समझे, कर सकता है।

(4) उस समय लागू किसी अन्य विधि अथवा किसी अन्य रुढ़ि, प्रथा अथवा पद्धति में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी पदधारी के पारिश्रमिक अथवा पूजास्थल के सम्बन्ध में किसी अन्य मद के खर्च के लिये किये गये उपबन्ध, बोर्ड द्वारा बढ़ाए, घटाये अथवा उपान्तरित किये जा सकते हैं, यदि पूजास्थल की वित्तीय स्थिति अथवा हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी वृद्धि, घटाव अथवा उपान्तरण आवश्यक समझा जाता है।

लेखे।

32. (1) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सभी प्राप्तियों तथा वितरणों का नियमित लेखा रखेगा, ऐसे लेखे प्रत्येक पंचांग वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में पृथक रूप से रखे जाएंगे तथा उनमें ऐसे विवरण समाविष्ट होंगे जो वह बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं।

(2) पूजास्थल के लेखों को प्रति वर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949, के अर्थ के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेंट हो, अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, संपरीक्षा की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा संचालित करने वाले प्रत्येक लेखा-परीक्षक को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में अथवा नियंत्रण के अधीन लेखों तथा सभी बहियों, वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा अभिलेखों तक पहुंच होगी।

इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में पुजारी आदि द्वारा इन्कारी पर शास्ति।

33. पूजास्थल के प्रशासन से सम्बद्ध यदि कोई पुजारी, अधिकारी, सेवक अथवा कोई अन्य व्यक्ति —

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन जारी किए गए आदेशों तथा निदेशों को मानने से इन्कार करता है अथवा जान-बूझ कर उनका पालन नहीं करता है अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डालता है ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन मांगी गई किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखों तथा अन्य जानकारियों को देने से इन्कार करता है, अथवा जानबूझ कर देने में असफल रहता है,

जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा व्यतिक्रम की दशा में, ऐसी अवधि के लिए, जो एक मास तक बढ़ाई जा सकती है, कारावास से दण्डनीय होगा।

पूजास्थल से सम्बन्धित सम्पत्ति को गलत ढंग से रोकने और दबाने के लिए शास्ति।

34. कोई व्यक्ति जो —

(क) पूजास्थल से सम्बन्धित किसी ऐसी सम्पत्ति, दस्तावेज, अथवा लेखा बहियों का कब्जा, अभिरक्षा अथवा नियंत्रण रखते हुए, जिसका प्रबन्ध अथवा नियंत्रण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया गया है, बोर्ड अथवा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे सरकार द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा उसका निरीक्षण करने या उसकी मांग करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, ऐसी सम्पत्ति अथवा दस्तावेज अथवा लेखा बहियों को गलत ढंग से रोके और दबाए रखता है ;

(ख) बोर्ड की किसी सम्पत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा-बहियों का गलत ढंग से कब्जा लेता है, अथवा उन्हें रखता है अथवा उन्हें बोर्ड अथवा इस निमित्त इस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने से जान-बूझ कर इन्कार करता है, अथवा देने अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहता है ; या

(ग) गलत ढंग से पूजास्थल की सम्पत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों को हटाता है, नष्ट करता है या बिगाड़ता है ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

35.(1) सरकार का कोई अधिकारी अथवा सेवक इस अधिनियम के अधीन अथवा इस के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए किसी कार्य अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाहियों के लिए दायी नहीं होगा, यदि कार्य इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन अथवा सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में सद्भावपूर्वक किया गया है।

(2) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के फलस्वरूप किए गए अथवा किए जाने के लिए सम्भावित किसी नुकसान अथवा सहन की गई अथवा सहन किये जाने के लिए सम्भावित किसी क्षति अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

निदेश देने की शक्ति।

36. सरकार, समय-समय पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कारगर ढंग से कार्यरूप देने के लिए बोर्ड को लिखित रूप में ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश दे सकती है और ऐसा करते हुए बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश को विखंडित, पारेषित अथवा उपान्तरित कर सकती है और बोर्ड अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अनुसरण करेगा।

सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।

37. राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से, अथवा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश या निर्णय से स्वयं को व्यथित समझने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश या निर्णय पर पुनर्विलोकन कर सकती है तथा उस पर ऐसे आदेश कर सकती है, जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन आदेश करने से पूर्व सरकार किसी व्यक्ति को, जिसके ऐसे आदेश द्वारा प्राधिकृत रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

38. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों, और जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा उचित प्रतीत हों।

अधिकारिता का वर्जन।

39. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा किसी झगड़े अथवा मामले के निर्णय पर विचार करने अथवा न्याय-निर्णयन की कोई अधिकारिता नहीं होगी और जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी का निर्णय अथवा आदेश अंतिम तथा निश्चायक हो गया है।

नियम बनाने की शक्ति।

40.(1) सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यरूप देने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध होगा :--

(क) धारा 19 के अधीन पूजास्थल के कर्मचारियों की सेवा शर्तें ;

(ख) प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 20 के अधीन रजिस्टर रखे जाने हैं ;

(ग) धारा 21 के अधीन रजिस्टरों में प्रविष्टियों की जांच-पड़ताल ;

(घ) रीति, जिसमें धारा 24 के अधीन जांच की जानी है ;

(ङ) प्राधिकरण, जिसे तथा रीति जिसमें धारा 28 के अधीन अपील दायर की जानी है ;

(च) प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा 31 के अधीन बजट तैयार किया जाना है ;

(छ) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित विवरणों/विवरणियों के प्ररूप तथा अन्य प्ररूप तथा रीति जिसमें ये रखे जाने हैं ;

(ज) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, लेखे या अन्य सूचना ;

(झ) पूजास्थल की सम्पत्तियों और भवनों का परिरक्षण, अनुरक्षण, प्रबन्ध तथा सुधार ;

(ञ) मंदिर की मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का परिरक्षण ; और

(ट) कोई अन्य, विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, और यदि उक्त सत्र की, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र की समाप्ति से पूर्व विधान सभा इस बात के लिए सहमत हो जाती है कि नियम या तो उपान्तरित किया जाए या निष्प्रभाव कर दिया जाए, तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभावन इस अधिनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कतिपय, अधिनियमितियों का पूजास्थल को लागूकरण की समाप्ति

41. उस तिथि को या से जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध पूजास्थल को लागू होते हैं, किन्हीं अन्य विधियों के उपबन्ध, जो पूजास्थल को लागू होते, उसे लागू नहीं रहेंगे .

परन्तु ऐसी समाप्ति किसी भी प्रकार निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी :—

(क) पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व ;

(ख) ऐसे अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व के सम्बन्ध में किसी उपचार के लिए संस्थित की गई कोई विधिक कार्यवाही; या

(ग) सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात।